K.R.R.
490/16/2223

सीमा बनाम रतन देवी

तारीख पेशी	बनाम हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री देवेन्द्र पाल सिंह .... श्री एस.एन.हावा / एन.ए.2	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
5.9.18	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट उपस्थित। अपीलांट की ओर से श्री दर्शन पाल सिंह एड्वोकेट ने वकालतनामा पेश किया, जो शामिल पत्रावली हों। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने उपस्थित होकरं प्रार्थना पत्र वास्ते राजीनामा तस्दीक करने बाबत् पेश किया। अपीलांट की पहचान उनके अभिभाषक श्री दर्शन पाल सिंह ने की एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की पहचान उनके अभिभाषक श्री एस.एन.हावा ने की। अभिभाषक उभय पक्ष ने बताया कि प्रकरण में अपीलांटस व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के मध्य बाह्मी समझाईश व लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा हो गया हैं, राजीनामा अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पर ग्राम पटवारी द्वारा जो बंटवारा प्रस्ताव जो पारित किया गया हैं उसमें रेस्पोडेन्ट को खसरा नम्बर 4650 के रास्ते के पास आगे का हिस्सा 0.42 हैक्टरं दिया गया तथा खसरा नम्बर 4650का पीछे का हिस्सा रकबा 0.41 हेक्टयर अपीलांट को दिया गया लेकिन उक्त बंटवारा प्रस्तावत में अपीलांट को अपने खसरा नम्बर 4650/1 तक जाने हेतु रास्ता नहीं दिया गया था। इस पर दोनो पक्षकारान के मध्य समझौता हो गया। समझौते के अनुसार रेस्पोडेन्ट .संख्या 01 अपने आगे के आये हिस्से में से रास्ते बाबत् 9 X 242 वर्गफीट जगह रास्ते के लिए कुँए की तरफ पश्चिमी मेड़ के पास देने हेतु सहमत हैं इसमें कुल 203 वर्ग मीटर जगह अपीलांट अपने पीछे वाले हिस्से में से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को देना तय किया हैं ताकि अपीलांट आराजी खसरा नम्बर 4650/1 पर जा सकें। इसी अनुसार यह राजीनामा दोनो पक्षकारान में हो गया। उक्त रास्ता का उपयोग उपभोग अपीलांट व रेस्पोडेन्ट दोनो करेगें तथा अपीलांट उक्त रास्ते पर भविष्य में कभी अतिक्रमण कर किसी प्रकार की काश्त नहीं करेगी उक्त रास्ता केवल आवागमन के रूप में ही काम में लिया जायेगा। अतः न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि राजीनामा तस्दीक कर बंटवारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार डिक्री पारित करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। हमने उभय पक्ष बहस पर मनन किया एवं प्रस्तुत राजीनामा एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखें का अवलोकन किया। उभय पक्ष ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया एवं न्यायालय के समक्ष राजीनामा होना स्वीकार किया जाने पर न्यायालय हाजा द्वारा राजीनामा तस्दीक किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि राजीनामा को ध्यान में रखते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पक्षकारान दिनांक 12.10.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होवें। मूल राजीनामा अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावें एवं मूल राजीनामा की प्रमाणित प्रति पत्रावली में शामिल किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापिस भिजवाया जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	2236 25-10-18